"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100] रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2023 — फाल्गुन 29, शक 1944

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2023

क्रमांक 99/सी.एस.ई.आर.सी./2023.— विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 50, धारा 181(2)(टी) सहपठित धारा 181(2)(x) तथा धारा 43(1), 46, 47(1) एवं 47(4) के प्रावधानों सहपठित धारा 181(1), 181(2)(वी) तथा 181(2)(डब्ल्यू) में प्रदत्त शक्तियों को बरतते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (एतद् पश्चात्, आयोग) के द्वारा ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता–2011'' (एतद् पश्चात्, प्रदाय संहिता) तथा इसके प्रथम एवं द्वितीय संशोधन अधिसूचित किये जा चुके हैं। प्रदाय संहिता के कार्यफल के अनुभवों के आधारा पर एवं प्रदाय संहिता की कंडिका 1.6 के तहत गठित पुनर्विलोकन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ संशोधन जरूरी हो गये हैं।

आयोग, प्रदाय संहिता की कंडिका 1.10 में प्रदत्त शक्तियों को प्रसंग में लाते हुए, टिप्पणीयों एवं सुझावों पर विचार करने के बाद, प्रदाय संहिता में निम्नलिखित संशोधन करती है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन), 2023

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

1.1 यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन), 2023 के नाम से जानी जाएगी ।

1.2 इस संहिता के प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में प्रकाशन के एक महीने बाद के आने वाले महीने के पहले दिन से लागू होंगे।

1.3. इस संहिता में इस्तेमाल किये गये ऐसे अन्य सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो इसमें परिभाषित नहीं किये गये हैं, का अभिप्राय वही होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 (एतद पश्चात मूल संहिता कहकर संबोधित) में अभिप्रेत है।

2. मूल संहिता में कंडिका 2.1(ओ) जिसे पूर्व में द्वितीय संशोधन संहिता के मार्फत प्रतिस्थापित किया गया था, पुनः प्रतिस्थापित की जाती है, नामतः

2.1(ओ) 'संबद्ध भार' से अभिप्रेत है – उपभोक्ता के परिसर में ऊर्जा की खपत करने वाले समस्त उपकरण जो विद्युत की मुख्य धारा से संयोजित हैं तथा एक साथ उपयोग किये जा सकते हैं की उत्पादक द्वारा दी गयी सकल रेटिंग। इसे के. डब्ल्यू. या एच.पी. इकाईओं से अभिव्यक्त किया जाएगा तथा इस संहिता की 'उपकरणों की रेटिंग' की कंडिका 5.48 में निहित प्रक्रिया के द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है।

3. मूल संहिता में कंडिका 3.4 जिसे पूर्व में द्वितीय संशोधन संहिता के मार्फत प्रतिस्थापित किया गया था, पुनः प्रतिस्थापित की जाती है, नामतः

3.4 आपूति हेतु वोल्टेजवार न्यूनतम व अधिकतम संविदा मांग सामान्यतः निम्नानुसार होगीः–

विद्युत प्रदाय की वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
230 वोल्ट	–	5 किलोवॉट*
440 वोल्ट	5 किलोवॉट	150 हार्स पावर तक अथवा 112 किलोवॉट
11 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए.	500 के.व्ही.ए.
33 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए.	15000 के.व्ही.ए.
132 के.व्ही.	4000 के.व्ही.ए.	40000 के.व्ही.ए.
220 के.व्ही.	15000 के.व्ही.ए.	150000 के.व्ही.ए.

*कृषि / औद्योगिक तथा गैर–डी.एल.एफ. इन मानदण्डो के अपवाद है जिसके लिए कमतर भारों के लिए भी 3 फेज कनेक्शन दिये जा सकते हैं।

परंतु यह कि तकनीकी कारणों के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के अनुमोदन के उपरांत, उपरोक्त प्रावधानों को शिथिल कर सकता है। उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता की संविदा मांग यदि उपर्युक्त अधिकतम संविदा मांग से अधिक होती है तो आयोग द्वारा, सुसंगत टैरिफ आदेशों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार उन पर लगाया जाएगा।

परंतु यह भी कि उन मामलों में जहॉ पहुॅच पाना कठिन हो, अनुज्ञप्तिधारी उन निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए उच्चदाब मीटर स्थापित कर सकता है, जिनकी अधिकतम संविदा मांग 50 एच.पी. या 37.5 कि.वा. से अधिक है। ऐसे उपभोक्ताओ की विद्युत आपूर्ति की बिलिंग 3 प्रतिशत ट्रांसफार्मेशन हानि को ध्यान में रखते हुए, लागू निम्नदाब टैरिफ के अनुसार की जाएगी।

4. मूल संहिता का विनियम 4.20(i)(ए) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः

4.20(i) किसी उपभोक्ता को पूरे परिसर के लिये एक बिन्दु पर विद्युत प्रदाय की जाएगी। आपूर्ति की निबंधनों एवं शर्तों के उद्देश्य से परिसर को पृथक निरूपित किया जाएगा –

(ए) यदि विभिन्न व्यक्तिओं के स्वामित्व में हो या विभिन्न व्यक्तिओं के द्वारा लीज पर या किराए पर लिया गया हो, घरेलु, सिंगल फेज, गैर–घरेलु तथा सड़क बत्ती के उद्देश्य से संयोजनों के मामले में संयोजन के समय किराए अथवा लीज की अवधि की वैधता किसी भी अवधि की हो तथा घरेलु, सिंगल फेज, गैर–घरेलु तथा सड़क बत्ती से भिन्न उद्देश्य से संयोजनों के मामले में संयोजन के समय न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि की हो।

5. मूल संहिता में कंडिका 4.51 टीप (vi) जिसे पूर्व में द्वितीय संशोधन संहिता के मार्फत प्रतिस्थापित किया गया था, पुनः प्रतिस्थापित की जाती है, नामतः

4.51 **टीप (vi)** विद्युतिकृत बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स/हाउसिंग कालोनी के पूर्ण / आंशिक हस्तांतरण के पश्चात, यदि वैयक्तिक आवेदक (जैसे आवास स्वामी, दुकान का स्वामी आदि) निर्धारित भार या संगणित भार से अधिक के लिए आवेदन करता है तो आवेदक से सवंर्धित भार के लिए विनियम 4.3 के अनुसार व्यवहार किया जायेगा।

परंतु यह कि वैयक्तिक आवेदक (जैसे आवास स्वामी, दुकान का स्वामी आदि), वैयक्तिक कनेक्शन के समय पूर्व में निर्धारित भार या संगणित भार पर पृथक से कोई आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार का भुगतान नही करेगा।

6. द्वितीय संशोधन विनियम के विनियम 4.52 के उपविनियम (i) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.52(i) भवन/भवनों के समूह, जो सामान्यतः इस संहिता के विनियम 4.51 के अनुसार निर्धारित, 112 किलोवाट या अधिक के कुल भार के लिए एक या एक से अधिक निम्न दाब कनेक्शनों की अपेक्षा करतें हैं, को विद्युत आपूर्ति के प्रयोजन के लिए बहु–उपभोक्ता काम्पलेक्स के रूप में समझे जायेंगे। बहु–उपभोक्ता काम्पलेक्स में आवासीय, गैर आवासीय एवं वाणिज्यिक काम्पलेक्स, हाउसिंग कालोनी, आफिस काम्पलेक्स, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल होंगे।

7. द्वितीय संशोधन विनियम के विनियम 4.52 के उपविनियम (iii) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.52.(iii) बाह्य विद्युतीकरण कार्य जैसे कि 11 के.वी. लाइन का विस्तारीकरण, वितरण ट्रांसफॉर्मर उप–स्थानक (वितरण ट्रांसफॉर्मर को छोड़कर) तथा कॉलोनी के दायरे में निम्न दाब लाइन / तार बिछाना, विकासकर्ता / निर्माणकर्ता / आवासीय समिति / उपभोक्ता समूह / उपभोक्ता जो बाह्य विद्युतीकरण हेतु आवेदन करता है अपनी स्वयं की लागत पर करवाएगा। उपरोक्त विस्तार कार्य, प्राक्कलित लागत का भुगतान पर्यवेक्षण प्रभारों सहित करके, अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा भी निष्पादित करवाए जा सकते हैं। वितरण ट्रांसफॉर्मर, पैकेज टाईप उप–स्थानकों के मामलों को छोड़कर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित किये जाएंगे। वितरण ट्रांसफॉर्मर की लागत का भुगतान कॉलोनाईजर के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किया जाएगा जो बहु–उपभोक्ता परिसर / आवासीय कॉलोनी की आवश्यकता के आधार पर ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना करेगा।

8. **द्वितीय संशोधन विनियम के विनियम 4.52 के उपविनियम (vii) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :**

4.52.(vii) यदि विनियम 4.51 के अनुसार निर्धारित भार 3000 कि.वा. से अधिक है किन्तु 5550 कि.वा. से अधिक नहीं है तो आवेदक परियोजना क्षेत्र के परिसर के भीतर अथवा परिसर से जुड़ा हुआ, आवश्यक भू–खण्ड जो 40X30 मीटर से कम न हो और यदि भार 5550 कि.वा. से अधिक एवं 10,000 कि.वा. से कम हो तो भू–खण्ड जो 50X40 मीटर से कम न हो, अपने स्वयं के लागत पर अनुज्ञप्तिधारी को 33/11 कि.वो. सब–स्टेशन के निर्माण के लिए रूपये 1/– के सांकेतिक प्रीमियम में उपलब्ध करायेगा। सब–स्टेशन की अवस्थिति आवेदक की सहमति से क्षेत्र के प्रभारी अभियंता द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

परंतु यह कि, यदि आवेदक द्वारा कम भूमि / कक्ष मुहैया करवाया जाता है जहाँ सिर्फ जी.आई.एस. उप–स्थानक / सघनित वितरण ट्रांसफॉर्मर केंद्र ही बैठाया जा सकता है, तब पारम्परिक एवं जी.आई.एस. उप–स्थानक जिसमें सहायक यंत्र शामिल हैं, की अंतर की लागत पूर्णतः विकासकर्ता / निर्माणकर्ता / आवेदक के द्वारा वहन की जाएगी तथा इसका कोई पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा। यह रख–रखाव, अग्नि तथा अन्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु सुगम प्रवेश के अध्यधीन होगा।

9. **मूल संहिता के विनियम 4.53 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है:**

4.53 नगर निगम/ नगर परिषद्/नगर पंचायत के द्वारा चिन्हित की गयी अथवा प्रमाणित अर्द्धविकसित / अवैध घोषित कॉलोनियां

ऐसे कई मामले हैं जहाँ किसी विकासकर्ता / निर्माणकर्ता या विकासकर्ताओं / निर्माणकर्ताओं के समूह द्वारा भू खंडो या भवनों का अंशतः अथवा पूर्णतः विकास और निर्माण किया गया है, परन्तु उसके लिये, राज्य शासन / स्थानीय निकायों / सक्षम प्राधिकारियों से समुचित विधियों और नियमों के अधीन आवश्यक अनुमति/सहमति नहीं ली गयी है और लाइन विस्तार कार्य प्रारंभ या पूर्ण नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में सामान्यतः भू–खंडों / भवनों का क्रेता व्यक्ति विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दे सकता है। ऐसे व्यक्तिगत उपभोक्ता को, बाह्य विद्युतीकरण के कुछ व्ययों को वहन करने हेतु निश्चित लागत के भुगतान के बाद, विद्युत संयोजन दिया जा सकता है।
ऐसे इलाकों के विद्युतीकरण हेतु अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

i. ऐसे इलाकों के उपभोक्ता(ओं) के आवेदन(नों) की प्राप्ति होने पर अनुज्ञप्तिधारी यह शिनाख्त / सुनिश्चित करेगा कि वह इलाका अर्धिवकसित / अवैध घोषित कॉलोनी है जैसा कि नगर निगम/ नगर परिषद्/ नगर पंचायत या स्थानीय निकायों के द्वारा शिनाख्त या प्रमाणित किया गया है।

ii. तदुपरांत अनुज्ञप्तिधारी, प्रवृत्त(लागू) प्रदाय संहिता के आधार पर, संयोजित भार एवं विद्युतीकरण की प्राक्कलित लागत का निर्धारण करेगा।

iii. उपरोक्त प्राक्कलन पर आधारित विद्युतीकरण की लागत प्रति किलोवाट (बाह्य विद्युतीकरण या 33 के.वी. या 11 के.वी. लाइन का विस्तारीकरण, कॉलोनी के दायरे के भीतर / बाहर ट्रांसफॉर्मर्स, जो भी लागू हो), अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वृहद प्रसार हेतु समाचार पत्रों में घोषित तथा प्रकाशित की जाएगी। विद्युतीकरण के वास्ते उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले प्रभार, 5000 रुपये प्रति किलोवाट से अधिक नहीं होंगे।

iv. ऐसी कॉलोनी में विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ करने हेतु उपरोक्त पैरा ii के तहत निर्धारित प्राक्कलित लागत का न्यूनतम 25% जमा कर दिया जाना चाहिये। यदि यह 25% उपभोक्ता(ओं) से उगाहे गये प्रभारों से हासिल नहीं हुए हों, तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदक(कों) को, एम.पी. / एम.एल.ए. / भारत सरकार / छ.ग. सरकार / प्रशाद निधि / पंचायत निधि / जिला खनिज फंड(डी.एम.एफ.) या अन्य किसी योजना से, 25% पूर्ण करने हेतु, धन की व्यवस्था करवाने की ताकीद कर सकता है। बकाया 75% का योगदान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, पूंजी निवेश योजना के तहत सामान्य विकास निधि (एन.डी.एफ.) से, किया जाएगा।

v. जिस इलाके के लिये उपभोक्ताओं के द्वारा भुगतान किया गया हो उस इलाके का कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभागीय कार्य के बतौर किया जाएगा।

vi. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं के कार्यों के लिये होना चाहिये, जिसकी निगरानी मुख्य अभियंता से अन्यून(नॉट बिलो) स्तर के अधिकारी के द्वारा की जाएगी।

vii. यदि उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त धनराशि उस वित्तीय वर्ष के दौरान जमा नहीं कराई जाती जिस में प्राक्कलन स्वीकृत हुआ हो, तब उपभोक्ता द्वारा 7% प्रतिवर्ष या उसका भाग, आवेदन देते समय अतिरिक्त जमा करवाना होगा।

viii. उक्त कॉलोनी में आगामी संयोजन हेतु उपभोक्ताओं को रुपये 5000/– प्रति किलोवाट भुगतान करना होगा।

10. विनियम 4.58 जिसे द्वितीय संशोधन विनियम के द्वारा संशोधित किया गया था, निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थपित किया जाता है:

4.58 नये संयोजन तथा भार में वृद्धि से संबंधित विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने हेतु सारणी

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को कनेक्षन देने की कार्यवाही निम्नलिखित सारणी में दर्शित नियत अवधि के भीतर की जाएगी। इस संहिता

के उद्देश्य वास्ते शहरी क्षेत्र का तात्पर्य है, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत तथा शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य का तात्पर्य है, ग्रामीण क्षेत्रः–

क्रम संख्या	सेवा का प्रकार	सेवा के लिए निर्धारित समय–सीमा
1. (ए)	निम्नदाब (एल.टी.) कनेक्शन पूर्ण आवेदन प्राप्ति उपरांत स्थल निरीक्षण के लिए उपभोक्ता को सूचना जारी करना	03 कार्य दिवस
(बी)	सूचना भेजने उपरांत निरीक्षण करना शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	 02 कार्य दिवस 05 कार्य दिवस
(सी) (i)	निरीक्षण उपरांत आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य की आवष्यकता नहीं हो और कनेक्षन विद्यमान पारितंत्र (नेटवर्क) से दिया जाना है) शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	 05 कार्य दिवस 07 कार्य दिवस
(ii)	निरीक्षण उपरांत आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना आवष्यक है) शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	 15 कार्य दिवस 22 कार्य दिवस
(डी)	जहां लाइन विस्तार कार्य आवष्यक न हो/लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर – आवेदक द्वारा आवष्यक प्रभारों के भुगतान करने, अनुबंध करने तथा परीक्षण प्रतिवेदन पेश करने के उपरांत कनेक्षन प्रदान करना लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर/जहां लाइन विस्तार कार्य आवष्यक न हो – (ए) सामान्य घरेलु संयोजन शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र (बी) गैर–घरेलु संयोजन शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	 7 दिवस 15 दिवस 15 दिवस 30 दिवस
(ई)	कार्य पूर्ण करने की अवधि यदि विस्तार कार्य / वितरण मुख्य–पथ को सशक्त करना आवश्यक हो (ए) कृषि कनेक्षन, को छोड़कर बाकी सभी कनेक्षन शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र (बी) कृषि कनेक्षन, ऐसे मौसम में जब खेत तक पहुँच उपलब्ध है। (सी) कृषि कनेक्षन, ऐसे मौसम मे जब खेत तक पहुँच उपलब्ध नहीं है।	 90 दिन 120 दिन 90 दिन, बशर्ते विस्तार कार्य की लागत पूर्ण कर दी गयी हो 180 दिन, बशर्ते विस्तार कार्य की लागत पूर्ण कर दी गयी हो

2.	उच्च दाब (एच.टी.) कनेक्षन (ए) आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना (बी) प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (साध्यता सूचना जारी होने के बाद) (सी) भुगतान उपरांत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करने की अवधि (डी) i) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्तार कार्य पूर्ण करने, मीटर एवं मीटरिंग यंत्र की स्थापना करने के उपरांत तीन महीने का नोटिस जारी करना ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्तार कार्य पूर्ण करने तथा आवेदक द्वारा विद्युत निरीक्षक की अनुमति पेश करने के उपरांत भार प्रेषित करना	7 दिन 30 दिन 90 दिन 7 दिन 7 दिन
3.	अति उच्चदाब (ई.एच.टी.) कनेक्शन (ए) आवेदन पत्र, संयोजकता सहमति सहित, यदि जरूरी हो, प्राप्त होने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना (बी) साध्यता सूचना जारी करने के बाद प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (सी) भुगतान उपरांत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करने की अवधि (डी) लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर आवेदक द्वारा आवष्यक प्रभारों का भुगतान करने, अनुबंध करने, मुख्य विद्युत निरीक्षक से अनुमति की प्राप्ति के अध्यधीन, कनेक्शन प्रदान करने की अवधि	30 दिवस 60 दिन 180 दिन 30 दिन

11. मूल संहिता के विनियम 5.52 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थपित किया जाता है:

5.52 प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संयोजित भार में 3 अश्वशक्ति या अधिक के इन्डक्शन मोटर सम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर उपयुक्त क्षमता का निम्नदाब शंट केपेसिटर समस्त मोटरों के टरमिनलों पर लगाने की व्यवस्था करेंगे। 1500 आघूर्ण प्रति मिनट (आर.पी.एम.) के इन्डक्शन मोटर के टरमिनल पर सीधे लगाए जाने वाले केपेसिटर का अनुशंसित मान सामान्य मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट 11 में दर्शित है। तथापि उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए केपेसिटर, मोटर की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है, ताकि आयोग द्वारा समय–समय पर टैरिफ आदेशों में विनिर्दिष्ट औसत मासिक पावर फेक्टर सुनिश्चित हो सके। जहाँ ऐसे मीटर लगे है जो पावर फेक्टर अंकित करते हैं, मीटर द्वारा अंकित पावर फेक्टर ही मासिक पावर फेक्टर होगा, भले ही किसी भी क्षमता का केपेसिटर लगा हो।

परन्तु यह कि जहाँ लगाये गये मीटर, भार के औसत मासिक पावर फेक्टर अंकित नहीं कर सकते वहाँ परिशिष्ट 11 में संबंधित मोटर की क्षमता के समक्ष

दर्षित क्षमता वाले, कार्यशील दशा में पाये गये, केपेसिटर की क्षमता उपयुक्त मानी जायेंगी।

12. मूल संहिता में विनियम 6.4 जिसे पूर्व में द्वितीय संशोधन संहिता के मार्फत प्रतिस्थपित किया गया था, को पुनः प्रतिस्थपित किया जाता है :

6.4 किसी नये संयोजन के मामले में अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा राशि ले सकता है जिसकी गणना अनुबंधित भार/अनुबंधित मांग के आधार पर एच.पी./के.डब्ल्यू या के. वी., यथा प्रकरण तथैव, जैसा प्रदाय अनुबंध में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिये हो, निम्नाकित रीति से की जाएगी :–

क्रमांक	संवर्ग	सुरक्षा राशि की गणना हेतु निर्धारित खपत प्रतिमाह (30 दिवस)
01	घरेलु	i) 100 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश ii) 25 इकाई प्रति 250 वॉट्स या उसका अंश
02	गैर–घरेलु	i) 100 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश ii) 25 इकाई प्रति 250 वॉट्स या उसका अंश
03	जल उपक्रम	150 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश या 110 इकाई प्रति एच.पी. या उसका अंश
04	निम्नदाब औद्योगिक	100 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश या 75 इकाई प्रति एच.पी. या उसका अंश
05	कृषि	100 इकाई प्रति एच.पी. या उसका अंश
06	सड़क बत्ती	180 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश
07	उच्चदाब एवं अति उच्चदाब उपभोक्ता	250 इकाई प्रति के.वी.ए. या उसका अंश

13. मूल संहिता में विनियम 6.9 जिसे पूर्व में प्रथम संशोधन संहिता के मार्फत प्रतिस्थपित किया गया था, को पुनः प्रतिस्थपित किया जाता है :

6.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उपभोक्ता से ली गई सुरक्षानिधि की राशि का पुनरीक्षण, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान उसकी वार्षिक खपत के आधार पर किया जयेगा। इस पुनरीक्षण के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी औसत खपत के समतुल्य सुरक्षानिधि की राशि का निर्धारण संहिता के खण्ड 6.5 में उल्लिखित उस अवधि हेतु प्रयोज्य दर (टैरिफ) के अनुसार करेगा। यदि पुनरीक्षण पर, निम्नदाब के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित सुरक्षा निधि की राशि में +/- 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन (वृद्धि या कमी) होता है और उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में रु. 10,000/– से अधिक का परिवर्तन होता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक मांग अथवा वापसी की जायेगी।

14. मूल संहिता के विनियम 7.28 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थपित किया जाता है :

7.28 कार्यों को पूर्ण करने के लिये प्रभारों के भुगतान की तिथि से निम्नलिखित समय–सीमा का पालन किया जाएगा :

(1) मीटर/सर्विस लाईन को स्थानांतरित करना : **7** दिवस

(2) निम्नदाब/ उच्चदाब लाईन को स्थानांतरित करना : 60 दिवस

(3) ट्रांसफॉर्मर को स्थानांतरित करना : 60 दिवस

15. मूल संहिता के विनियम 9.18 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थपित किया जाता है :

9.18 बिलिंग का आकलन वास्तविक एम.आर.आई. आंकड़ों, जहाँ ये उपलब्ध हैं, के अनुसार होगी तथा अन्य मामलों में बिलिंग का आकलन, उस माह को सम्मिलित करते हुए जिसमें आकलन किया गया हो 6 माह या वास्तविक समय जब से मीटर सही कार्यरत नहीं पाया गया है जो भी कम हो की अवधि का किया जायेगा तथा मीटर के बदलने तक निरंतर जारी रहेगा।

16. मूल संहिता के विनियम 10.2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थपित किया जाता है :

10.2 अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केंद्रों तथा ऐसे बैंकों जहाँ उपभोक्तागण भुगतान कर सकते हैं, के पते / स्थल तथा कार्यशील घंटे का भरपूर प्रचार, सुनिश्चित करेगा। विभिन्न धन–राशिओं हेतु भुगतान के तरीके सुसंगत वर्ष के टैरिफ आदेश के माध्यम से शासित होंगे।

17. मूल संहिता के विनियम 10.5 को रद्द किया जाता है :

18. मूल संहिता के विनियम 11.12 के पश्चात एक नवीन विनियम 11.12(ए) जोड़ा जाता है :

11.12(ए) यदि 25% या उससे कम भार का उपयोग उस उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य के लिये किया जाता है जिसके लिये कनेक्शन हासिल किया गया है, तब उपयोग किये गये उद्देश्य हेतु आनुपातिक देयकांकन (प्रपोर्शनेट बिलिंग) किया जा सकता है। देयकांकन कंडिका 11.12 के अनुसार किया जा सकता है।

टीपः– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./–

(सूर्य प्रकाश शुक्ला)
सचिव.